दिनांक 07.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ मकानों के बाहर बनायें गये निजी सुलभ शौचालय के चेंबर एवं गड्ढ़े को ढ़ककर या ढ़क्कन लगाकर रखने के निर्देश दिये गये थे, ताकि चेंबर अथवा गड्ढ़े खुले न हो। आयुक्त के0एल0 चौहान ने आज निगम क्षेत्र के समस्त भवन मालिक, नागरिकों, निर्माणाधीन भवनों के ठेकेदार वास्तुविदों से कहा है। उन्होने कहा कि बारिश के समय पानी भरे होने से ऐसे गड्ढ़ो में दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। आयुक्त ने समस्त जोन आयुक्त सहायक राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक सं भी कहा है कि वे वार्ड भ्रमण में यह अवश्य देखें की कहीं भी गड्ढ़े खुले न हो। जो गड्ढ़े खुले हैं अथवा पानी भरे हुए है उनके मालिक या संबंधित एजेंसी उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश देवें, नहीं मानने पर उनके विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के अंतर्गत राशि 5 सौ से 5 हजार रुपये तक की दाण्डिक शुल्क की वसुली किया जावे।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी जोन आयुक्त, सहायक अभियंता से अपने जोन का निरीक्षण कराकर शत् प्रतिशत गड्ढ़े को बंद करने तथा खुले चेंबरों में ढ़क्कन लगाने के निर्देश देते हुए उसका प्रमाण–पत्र निगम मुख्यालय में उपलब्ध कराने को कहा है। सभी जोन में यह कार्यवाही सुनिश्चित हो।

जनसम्पर्क अधिकारी